

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 19/2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) तथा धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1), तथा धारा 20 के खंड (iii), (iv) तथा (xxv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 683 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,

(3)	(4)	(5)
“(i) “होटल आवास” की आपूर्ति जिसमें प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक लेकिन सात हजार पांच सौ रुपए से कम या उसके बराबर तक प्रति इकाई प्रतिदिन या समतुल्य हो ।	12	-
(ii) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “रेस्तरा सेवा” की आपूर्ति	5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(iii) भारतीय रेलवे या भारतीय रेलवे कैंटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड या उनके लाईसैंसियों के द्वारा किसी सेवा या	5	बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल

<p>वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई पेय या उसके हिस्से की आपूर्ति, चाहे वह रेलगाड़ी में अथवा प्लेटफार्म पर प्रदान की जाती हों ।</p>		<p>एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv)]</p>
<p>(iv) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न परिसरों में “आऊटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो निम्न से भिन्न हो:</p> <p>(क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या (ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता ।</p>	<p>5</p>	<p>बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv)]</p>
<p>(v) “विशिष्ट परिसरों” से भिन्न अन्य परिसरों में परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ “आऊटडोर कैटरिंग” की ऐसे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति जो निम्न से भिन्न हो:</p> <p>(क) “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” देने वाले, या (ख) “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित आपूर्तिकर्ता ।</p>	<p>5</p>	<p>बशर्ते कि ऐसे सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर भारित कर का इनपुट क्रेडिट न लिया गया हो । [कृपया देखें- स्पष्टीकरण संख्या (iv)]</p>
<p>(vi) उपर्युक्त (i) से (v) से भिन्न स्थिति में रुकने की सुविधा, खाद्य और पेय सेवाएं</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>(क) किसी भी शंका को दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) के अंतर्गत मद (ii), (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाली आपूर्ति पर कॉलम (5) में उनके समक्ष दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए कॉलम (4) के समक्ष निर्धारित केन्द्रीय दर लगाया जाएगा जो कि अनिवार्य होगा और इसकी वसूली इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर से नहीं की जाएगी ।</p> <p>(ख) इस प्रविष्टि में “विशिष्ट परिसरों” में “रेस्तरां सेवाओं” की जाने वाली आपूर्ति भी शामिल हैं ।</p> <p>(ग) इस प्रविष्टि में “होटल आवास” जिसके प्रति इकाई व्यवस्था की आपूर्ति का मूल्य सात हजार पांच सौ रुपए प्रति</p>	<p>18</p>	<p>-”</p>

<p>इकाई प्रति दिन से अधिक या समतुल्य हो भी शामिल हैं ।</p> <p>(घ) इस प्रविष्टि में “आऊटडोर कैटरिंग” जो कि ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो “विशिष्ट परिसरों” में “होटल की सुविधा” प्रदान करते हों या ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो जो ‘विशिष्ट परिसरों’ में अवस्थित हों, भी शामिल हैं ।</p> <p>(ड.) इस प्रविष्टि में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई परिसरों को किराए पर देने (जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, क्लब, पंडाल, शामियाना या अन्य स्थान, विशेषकर जो समारोह के आयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं) के साथ-साथ “आऊटडोर कैटरिंग” की संयुक्त आपूर्ति भी शामिल है जो कि “विशिष्ट परिसरों” में “होटल आवास” प्रदान करते हैं अथवा “विशिष्ट परिसरों” में अवस्थित हों ।</p>		
---	--	--

(ख) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द “सेवा”, के पश्चात शब्द “प्रचालकों सहित” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iii) में शब्द “या उनके बिना”, निरसित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iv) को और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और शब्द “, (iv)” को निरसित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (v) और (vii) को और कॉलम (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
“(viii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (vi), और (vii) से भिन्न प्रचालक के बिना पट्टा या भाटक सेवाएं ।”

(ज) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) के, मद (i) में और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(िक) अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यापारिक सेवाएं जो कि कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग से संबंधित हैं”	12	-”,

- (झ) क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द और कोष्ठक “उपर्युक्त (i)” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक “उपर्युक्त (i) और (िक)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ञ) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द “की सेवा”, के स्थान पर शब्द “को समर्थन सेवाएं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ट) क्रम संख्या 24 के समक्ष, कॉलम (2) में, संख्या “9986”, के पश्चात शब्द और अंक “(कृषि, शिकार, वानिकी, फिशिंग, खनन और उपयोगिता समर्थक सेवाएं)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ठ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उपवाक्य (ग) में शब्द “उत्पादों” के पश्चात शब्द “, हीरे से भिन्न” अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ड) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (िक) के और कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(िख) सेवाएं जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	1.5	-
(िग) सेवाएं जो कि बस की बाडी बिल्डिंग से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	18	-
(िघ) सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (िक), (िख) और (िग) से भिन्न जॉब वर्क के माध्यम से दी गई हों;	12	-”;

- (ढ) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्द और अंक “(िक)”, के पश्चात अंक और शब्द “(िख), (िग) और (िघ)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) पैराग्राफ 2क में, शब्द “पंजीकृत” को निरसित किया जाएगा;
- (iii) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में उपवाक्य (xxxi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

(xxxii) “रेस्तरां सेवा” से अभिप्राय किसी सेवा या वस्तु, जो कि भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु हो या कोई पेय हो के या उसके हिस्से की आपूर्ति से है जो कि किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट जिसमें मैस, कैंटीन भी आती हैं, के द्वारा प्रदान की गई हो, चाहे यह उसी परिसर में ग्रहण करने के लिए या उससे दूर ग्रहण करने के लिए की गई हो जहां ऐसे भोज्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तु या पेय प्रदार्थ की आपूर्ति की गई हो ।

(xxxiii) “आउटडोर कैटरिंग” की आपूर्ति से अभिप्राय किसी सेवा की या उसके हिस्से की या किसी वस्तु जो कि भोज्य प्रदार्थ हो या मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु

हो या पेय हो की आपूर्ति से है जो कि किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल या अन्य आउटडोर या इनडोर समारोह में की गई हो, जो कि समारोह आधारित हैं और अवसर विशेष पर होते हैं ।

(xxxiv) "होटल आवास" से अभिप्राय होटलों, इन्स, गेस्ट हाऊसों, क्लबों, शिविर स्थलों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों जिनका प्रयोग आवास या ठहरने के लिए होता है, में व्यवस्था देकर की जाने वाली आपूर्ति जिसमें व्यवस्था के माध्यम से टाईम शेयर यूसेस राइट्स की आपूर्ति भी आती है ।

(xxxv) "घोषित टैरिफ" से अभिप्राय किसी इकाई व्यवस्था में (ठहरने के लिए किराए पर दी गई) जैसे कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य सुविधाओं, जैसी सभी सुविधाओं पर लगाए जाने वाले प्रभार से है लेकिन ऐसी इकाइयों के लिए प्रकाशित प्रभार पर दी जाने वाली किसी भी छूट को इसमें से अलग नहीं किया जाता है ।

(xxxvi) 'विशिष्ट परिसर' से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है जो कि ऐसे "होटल की व्यवस्था" की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/136/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 10 मई, 2019, सा.का.नि 355 (अ), दिनांक 10 मई, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।